भारत सरकार

आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 2837

12 दिसंबर, 2024 को उत्तर दिए जाने के लिए

पीएम-स्वनिधि योजना का कवरेज

2837. श्री तेजस्वी सूर्या:

क्या **आवासन और शहरी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) देश भर में पीएम-स्वनिधि योजना के कवरेज का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) इस योजना की शुरूआत से इसके अंतर्गत स्ट्रीट वेंडरों को लाभ प्रदान करने के लिए वितीय परिव्यय और उपयोग का ब्यौरा क्या है;

(ग) उन स्ट्रीट वेंडरों की राज्य-वार कुल संख्या और प्रतिशत क्या है जिन्होंने अपने ऋण चुका दिए हैं और प्रगति करने के लिए और अधिक ऋण राशि ली है; और

(घ) उक्त योजना के अंतर्गत महिलाओं के नेतृत्व में राज्य-वार कितने ऋण लिए गए हैं और उन्हें कुल कितनी वित्तीय सहायता प्रदान की गई है?

उत्तर

आवासन और शहरी कार्य राज्य मंत्री

(श्री तोखन साहू)

(क) दिनांक 04.12.2024 तक, पीएम स्वनिधि के अंतर्गत 67.4 लाख पथ विक्रेता लाभार्थियों को 94 लाख से अधिक ऋण वितरित किए गए हैं। प्रधानमंत्री पथ विक्रेता आत्मनिर्भर निधि (पीएम स्वनिधि) योजना के अंतर्गत राज्य-वार कवरेज का विवरण अनुलग्नक-I में दिया गया है।

(ख) पीएम स्वनिधि एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है। ऋण देने वाली संस्थाओं द्वारा ऋण धनराशि सीधे लाभार्थियों के बैंक खातों में संवितरित की जाती है। इस योजना के अंतर्गत राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को कोई धनराशि जारी नहीं की जाती है।

(ग) राज्यवार, ऋण चुकाने वाले तथा अधिक धनराशि लेने वाले पथ विक्रेताओं की कुल संख्या तथा प्रतिशत अनुलग्नक-II में दिया गया है।

(घ) पीएम स्वनिधि योजना के अंतर्गत महिला लाभार्थियों द्वारा लिए गए ऋणों की राज्य-वार संख्या और राशि अनुलग्नक-III में दी गई है।

*****

दिनांक 12 दिसंबर 2024 को उत्तर दिए जाने वाले लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 2837 के बिंदु (क) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक-I

पीएम स्वनिधि योजना के अंतर्गत लाभार्थियों और संवितरित ऋण की राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार संख्या दर्शाने वाला विवरण

(दिनांक 04.12.2024 तक)

क्र.सं.	राज्य	लाभार्थियों की संख्या	कुल संवितरित ऋण
1	अंडमान व निकोबार द्वीप समूह	547	994
2	आंध्र प्रदेश	3,48,257	5,17,011
3	अरुणाचल प्रदेश	4,686	7,419
4	असम	1,19,971	1,74,962
5	बिहार	1,27,360	1,59,118
6	चंडीगढ़	5,010	8,361
7	छत्तीसगढ	88,456	1,26,706
8	दमन दीव और दादरा और नगर हवेली	2,199	3,261
9	दिल्ली	1,89,974	2,29,654
10	गोवा	1,564	2,685
11	गुजरात	4,74,447	6,75,790
12	हरियाणा	1,64,783	1,98,439
13	हिमाचल प्रदेश	5,434	9,892
14	जम्मू और कश्मीर	17,062	27,397
15	झारखंड	84,854	1,06,684
16	कर्नाटक	3,91,403	5,50,968
17	केरल	1,17,982	1,46,892
18	लद्दाख	462	800
19	मध्य प्रदेश	8,78,663	13,14,368
20	महाराष्ट्र	8,42,712	10,57,471
21	मणिपुर	9,823	13,862
22	मेघालय	3,827	5,026
23	मिजोरम	2,573	3,361
24	नागालैंड	3,401	4,543
25	ओडिशा	63,124	96,894
26	पुदुचेरी	3,515	5,141
27	पंजाब	1,64,362	2,06,811
28	राजस्थान	1,82,914	2,34,130
29	सिक्किम	1,166	1,327
30	तमिलनाडु	3,97,428	5,55,794
31	तेलंगाना	4,25,062	7,12,794
32	त्रिपुरा	5,497	7,865
33	उत्तर प्रदेश	13,80,572	19,66,800
34	उत्तराखंड	27,737	41,182
35	पश्चिम बंगाल	2,03,262	2,29,684
	कुल	**67,40,089**	**94,04,086**

नोट: लक्षद्वीप में कोई शहरी क्षेत्र नहीं है।

डेटा स्रोत: पीएम स्वनिधि पोर्टल

दिनांक 12 दिसंबर 2024 को उत्तर दिए जाने वाले लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 2837 के बिंदु (ग) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक-II

योजना के अंतर्गत ऋण चुकाने वाले पथ विक्रेताओं की संख्या और प्रतिशत का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा दर्शाने वाला विवरण

(दिनांक 04.12.2024 तक)

क्र.सं.	राज्य का नाम	पथ विक्रेता लाभार्थियों की संख्या	पथ विक्रेताओं की संख्या जिन्होंने ऋण चुकाया है	पथ विक्रेताओं का प्रतिशत जिन्होंने ऋण चुकाया है	उच्च ऋण लेने वाले पथ विक्रेताओं की संख्या
1	अंडमान व निकोबार द्वीप समूह	547	466	85%	338
2	आंध्र प्रदेश	3,48,257	1,86,521	54%	1,37,186
3	अरुणाचल प्रदेश	4,686	3,409	73%	2,027
4	असम	1,19,971	66,098	55%	45,775
5	बिहार	1,27,360	54,000	42%	27,667
6	चंडीगढ़	5,010	3,879	77%	2,607
7	छतीसगढ	88,456	49,422	56%	31,412
8	दमन, दीव और दादरा और नगर हवेली	2,199	1,277	58%	927
9	दिल्ली	1,89,974	70,023	37%	34,571
10	गोवा	1,564	1,259	80%	795
11	गुजरात	4,74,447	2,53,116	53%	1,62,193
12	हरियाणा	1,64,783	47,687	29%	27,934
13	हिमाचल प्रदेश	5,434	4,043	74%	3,038
14	जम्मू और कश्मीर	17,062	13,835	81%	7,517
15	झारखंड	84,854	35,501	42%	18,476
16	कर्नाटक	3,91,403	1,88,871	48%	1,27,286
17	केरल	1,17,982	38,118	32%	25,542
18	लद्दाख	462	307	66%	234
19	मध्य प्रदेश	8,78,663	4,69,197	53%	3,48,291
20	महाराष्ट्र	8,42,712	3,08,236	37%	1,85,396
21	मणिपुर	9,823	7,029	72%	3,457
22	मेघालय	3,827	1,656	43%	992
23	मिजोरम	2,573	1,189	46%	668
24	नागालैंड	3,401	1,929	57%	880
25	ओडिशा	63,124	38,061	60%	27,473
26	पुदुचेरी	3,515	1,644	47%	1,337
27	पंजाब	1,64,362	61,686	38%	37,222
28	राजस्थान	1,82,914	89,130	49%	46,456
29	सिक्किम	1,166	317	27%	159
30	तमिलनाडु	3,97,428	2,10,351	53%	1,32,519
31	तेलंगाना	4,25,062	3,05,662	72%	2,17,854
32	त्रिपुरा	5,497	2,867	52%	1,886
33	उत्तर प्रदेश	13,80,572	7,27,864	53%	5,13,873
34	उत्तराखंड	27,737	15,855	57%	10,850
35	पश्चिम बंगाल	2,03,262	49,324	24%	25,545
	कुल	**67,40,089**	**33,09,829**	**49%**	**22,10,383**

नोट: ऋणों का पुनर्भुगतान एक सतत प्रक्रिया है

डेटा स्रोत: पीएम स्वनिधि पोर्टल

दिनांक 12 दिसंबर 2024 को उत्तर दिए जाने वाले लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 2837 के बिंदु (घ) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक-III

पीएम स्वनिधि योजना के अंतर्गत महिला लाभार्थियों द्वारा प्राप्त ऋणों की राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार संख्या और राशि का ब्यौरा दर्शाने वाला विवरण

(दिनांक 04.12.2024 तक)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	महिला लाभार्थी	महिला लाभार्थियों को संवितरित कुल ऋण	महिला लाभार्थियों को संवितरित ऋण की राशि (करोड़ रुपये में)
1	अंडमान व निकोबार द्वीप समूह	240	433	0.8
2	आंध्र प्रदेश	2,65,618	3,88,142	572.5
3	अरुणाचल प्रदेश	3,398	5,463	9.1
4	असम	59,334	87,224	128.5
5	बिहार	48,733	58,307	70.8
6	चंडीगढ़	830	1,374	2.3
7	छत्तीसगढ	42,916	61,176	88.3
8	दमन, दीव और दादरा और नगर हवेली	749	1,045	1.4
9	दिल्ली	69,445	80,541	95.1
10	गोवा	753	1,293	2.3
11	गुजरात	2,03,319	2,87,516	417.1
12	हरियाणा	51,239	57,710	66.1
13	हिमाचल प्रदेश	1,193	2,248	4.3
14	जम्मू और कश्मीर	735	1,151	1.9
15	झारखंड	42,359	50,477	61.4
16	कर्नाटक	2,16,729	2,98,122	424.0
17	केरल	76,983	92,431	110.0
18	लद्दाख	283	505	0.9
19	मध्य प्रदेश	3,46,015	4,98,053	730.4
20	महाराष्ट्र	3,78,018	4,66,506	585.6
21	मणिपुर	9,233	13,036	18.5
22	मेघालय	2,904	3,844	5.3
23	मिजोरम	2,257	2,964	4.0
24	नागालैंड	2,909	3,934	5.7
25	ओडिशा	14,356	20,477	29.6
26	पुदुचेरी	1,847	2,650	3.9
27	पंजाब	61,669	73,987	89.3
28	राजस्थान	63,461	76,600	91.7
29	सिक्किम	846	959	1.1
30	तमिलनाडु	2,71,845	3,76,390	527.0
31	तेलंगाना	2,78,561	4,66,797	783.9
32	त्रिपुरा	939	1,288	1.8
33	उत्तर प्रदेश	4,40,423	6,28,216	872.8
34	उत्तराखंड	6,675	9,149	12.8
35	पश्चिम बंगाल	97,383	1,08,434	119.5
कुल		**30,64,197**	**42,28,442**	**5,939.7**

डेटा स्रोत: पीएम स्वनिधि पोर्टल